

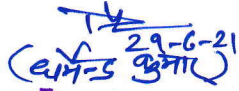
Project name - Construction of 33KV link electric line from 220 KV Sub-Station Babina Jhansi to 33/11 KV Sub-Station MES, Babina Through the road side of Old NH -26 Pillar No.- 27+980, Babina reserve forest (Dong Sarkar), Panti forest block (Dong Sarkar) and Sendhani forest block, forest range Babina, Jhansi under scheme Business Plan by Electricity Secondary works division Jhansi ,DVVNL for Enhance of capacity and reforms of Electricity supply (U P Govt. scheme)

विद्युत लाइन के निर्माण में प्रस्तावित मार्ग चयन का औचित्य तथा विकल्प मार्ग का तुलनात्मक विवेचन

बबीना, जनपद - झांसी, उत्तर प्रदेश स्थित भारत सरकार की रक्षा प्रतिष्ठान, एम0ई0एस0 तथा केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल0) के मुख्य प्रतिष्ठान तथा आवासीय परिसर में बेहतर एवं गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत आपूर्ति की क्षमता को उच्चिकृत करने के साथ-साथ वर्तमान पोषकों की अति भारिता को कम करने, लो वोल्टेज एवं ट्रिपिंग की समस्या को खत्म करने के लिए, बिजनेस प्लान के तहत, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, हाईडिल कॉलोनी, झांसी, डी0वी0वी0एन0एल0 द्वारा नए विद्युत लाइन का निर्माण 220 के0वी0 सब- स्टेशन बबीना झांसी से 33/11 केवी सबस्टेशन एम0ई0एस0 बबीना - झांसी तक किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत लाइन के निर्माण के अनुक्रम में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 26 के स्तम्भ संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्र (क्षेत्रफल-0.0555 हे0), बबीना आरक्षित वन क्षेत्र (क्षेत्रफल-0.5460 हे0), पन्ती आरक्षित वन ब्लॉक (क्षेत्रफल-0.1020 हे0) एवं सेधनी आरक्षित वन ब्लॉक (क्षेत्रफल-1.800 हे0) वन क्षेत्र समाहित है। इस विद्युत लाइन के निर्माण के अनुक्रम में प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग भी थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) विकल्प प्रथम - इस विद्युत लाइन के निर्माण के क्रम में, प्रथम विकल्प मार्ग की कुल लंबाई 7.30 किलोमीटर है तथा इस विकल्प मार्ग में बबीना शहर/कस्बा तथा झालानुआ इत्यादि ग्रामों की कृषि भूमि का क्षेत्र समाहित है। इस विकल्प मार्ग में पड़ने वाले गांवों के कृषि भूमि के क्षेत्र, ग्रामीणों द्वारा तीव्र प्रतिरोध का विषय है, वहीं दूसरी तरफ बबीना शहर के मकानों, नए आवासीय परिसरों तथा विद्यालयों के निकट से 33के0वी0 लाइन निर्मित किया जाना भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के विपरीत है, जो कि विद्युत लाइन के निर्माण के उपरांत उर्जाकृत किए जाने के पूर्व, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की उपबधों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अत्याधिक टेपिंग आदि के कारण उर्जाक्षरण की भी अत्याधिक संभावना है।

(ब) विकल्प द्वितीय - प्रस्तावित विद्युत लाइन के निर्माण के क्रम में इस द्वितीय विकल्प मार्ग की कुल लंबाई 7.00 किलोमीटर है तथा इस विकल्प मार्ग में ग्राम नयाजीरा, ग्रामीणों की अत्याधिक कृषि भूमि, बबीना कस्बे का बाहरी क्षेत्र, महर्षि विद्यालय तथा ग्राम टपेरियन क्षेत्र सम्मिलित है इस विकल्प में पड़ने वाले कृषि भूमि का क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा तीव्र प्रतिरोध का विषय है एवं आवासीय मकानों विद्यालय आदि के क्षेत्र से विद्युत सुरक्षात्मक कारणों से विद्युत लाइन के निर्माण में बाधक है। इस मार्ग में कुछ वृक्षों की कटाई भी सम्मिलित है।


29-6-21
Executive Engineer
Electricity Secondary Works Division
Jhansi

(स) विकल्प तृतीय — प्रस्तावित विद्युत लाइन के निर्माण के अनुक्रम में इस तृतीय विकल्प मार्ग की कुल लंबाई 6.600 किलोमीटर है तथा इस विकल्प में अधिकतर कृषि भूमि क्षेत्र, बबीना कैंट, नई आबादी परिक्षेत्र एम0ई0एस0 कालोनी का क्षेत्र सम्मिलित है। इस मार्ग में पड़ने वाले कृषि क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा प्रतिरोध का विषय है एवं साथ ही आवासीय परिक्षेत्र में सुरक्षात्मक कारणों से प्रतिरोध का विषय है। इस मार्ग में वृक्ष पातन के साथ ही साथ वृक्षों की कटाई छटाई भी अधिक है।

अतः उपर्युक्त विकल्प के अतिरिक्त विद्युत लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्ग का चयन किया गया जिसमें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है तथा विद्युत लाइन की तरफ पड़ने वाले वृक्षों की शाखाओं की शाखा-तराशी भी नाम मात्र की है।

29-6-21
(अभिषेक कुमार)
अधिशायी अभियंता
Executive Engineer
विद्युत माध्यमिक कार्यखंड
Electricity Subdivision
Jhansi
हाइडिल कॉलोनी, सिविल लाइंस
झांसी- उत्तर प्रदेश- 284001